#### प्रेस नोट दि0 06.06.22

## प्रेस नोट-

# गौवध करने वाले 02 गौकश अपराधी चाकू, छुरा, दाव,

# <u>अवैध नशीला पाउडर एल्प्राजोलम तथा गौकशी के अन्य उपकरणों के साथ</u>

## गिरफ्तार

दिनांक - 06.06.2022 थाना भोजपुर, गाजियाबाद



श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गाजियाबाद महोदय द्वारा जनपद में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय मोदीनगर के पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष थाना भोजपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.06.2022 को मुखबिर की सूचना पर मुस्तफा पुत्र मकसूद तथा शाहरुख पुत्र कबीर निवासीगण ग्राम त्यौडी 07 बिस्वा थाना भोजपुर गा0बाद को ग्राम त्यौडी 07 बिस्वा से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

अपराध कारित करने का तरीका:- अभियुक्तो द्वारा अवैध रुप से पैसे कमाने के लालच में गाय को जंगल में ले जाकर एल्प्राजोलम गोलिया आटे में मिलाकर खिला कर गौकशी करना।

## गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरणः-

- 1.मुस्तफा पुत्र मकसूद
- 2.शाहरुख पुत्र कबीर निवासीगण ग्राम त्यौडी 07 बिस्वा थाना भोजपुर गाजियाबाद।

## फरार अभियुक्तों का विवरण-

- 1.हसीन पुत्र निजामुद्दीन
- 2.इनामुल पुत्र नफीस निवासीगण ग्राम त्यौडी 07 बिस्वा थाना भोजपुर गा.बाद
- 3.रिहान कुरैशी पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम त्यौडी 13 बिस्वा थाना भोजपुर गा.बाद

### पंजीकृत अभियोंगो का विवरण -

- 1.मु०अ०स० १९८२ धारा ३/५/८ गौवध निवारण एक्ट थाना भोजपुर, गा०बाद बनाम मुस्तफा आदि,
- 2.मु0अ0स0 199/2022 धारा ४/२५ आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर बनाम मुस्तफा उपरोक्त,
- 3.मु0अ0स0 200/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर बनाम शाहरुख उपरोक्त,
- 4.मु0अ0स0 201/2022 धारा 8/21 NDPS ACT. थाना भोजपुर बनाम मुस्तफा उपरोक्त,
- 5. मु0अ0सं0 202/2022 धारा 8/21 NDPS ACT. थाना भोजपुर बनाम शाहरुख उपरोक्त

#### बरामदगी का विवरणः -

कुल 240 ग्राम अवैध नशीला पाउडर एल्प्राजोलम,

02 चाकू छुरानुमा,

01 दाव व गौकशी के अन्य उपकरण।



## दिनांक-06.06.2022 थाना कविनगर

थाना कविनगर क्षेत्रान्तर्गत सनसनीखेज दोहरे हत्या-काण्ड करने वाले अपराधियों को पुलिस गिरफ्तारी से बचने में शरण देकर छिपने में मदद करने व उनके अस्लाह को छिपाने के आरोपी वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तारा

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गाजियाबाद महोदय द्वारा उपरोक्त दोहरा हत्याकाण्ड करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया एवं पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम व क्षेत्राधिकारी कविनगर के निर्देशन मे टीमो का गठन किया गया एवं अभियुक्तों की तत्परता से तलाश की गयी जिसके क्रम में मु030सं0 492/22 धारा 302/34/120बी/212 भादिव व 3(2)5 SC/ST ACT थाना कविनगर गाजियाबाद में फरार अभियुक्तगण (1) बिल्लू गैगस्टर उर्फ अवनीश (2) राकेश को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने से बचने में छिपने में मदद करने, शरण देने व उनके हथियारों को छिपाने के आरोप में वांछित अभियुक्त राहुल अधाना पुत्र गजराज अधाना निवासी म0न0 30/29 मांझा वाली रोड पीएनबी बैंक के पास ग्राम तिगांव थाना तिगांव जनपद फरीदाबाद हरियाणा को थाना कविनगर पुलिस द्वारा दिनांक 06.06.2022 को समय करीब 10.45 बजे चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त द्वारा दोहार हत्याकांड मर्डर केस के वांछित अभियुक्त (1) बिल्लू गैगस्टर उर्फ अवनीश निवासी दुजाना थाना बादलपुर ,गौतमबुद्दनगर(2) राकेश निवासी दुजाना उपरोक्त को पुलिस गिरफ्तारी से बचने में छिपने में मदद करना, शरण देना तथा उनके अस्लाह को छुपाया गया था।

#### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

राहुल अधाना पुत्र गजराज अधाना निवासी म0न0 30/29 मांझा वाली रोड पीएनबी बैंक के पास ग्राम तिगांव थाना तिगांव जनपद फरीदाबाद हरियाणा उम्र करीब 27 वर्ष।

## आपराधिक इतिहास अभियुक्त अनिल उर्फ बिल्लू उपरोक्त-

मु0अ0सं0 492/22 धारा 302/34/120बी/212 भादवि व 3(2)5 sc/st ACT थाना कविनगर गाजियाबाद।



थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुठभेड के दौरान 01 बदमाश को गिरफ्तार कर कब्जे से एक अदद अपाचे मो0सा0 DL 3S DW 5113 चोरी की व एक अदद तमंचा .315 बोर व खोखा व जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया।


\_\_\_\_\_

दिनांक 06.06.2022

कार्यवाही:- कार्यवाही:- श्रीमान विरष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद के द्वारा अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में आज दिनाँक 06.6.22 को प्रभारी निरीक्षक थाना साहिबाबाद की टीम द्वारा मोह नगर चौराहे पर चैकिंग के दौरान एमएमएक्स माल यू टर्न के पास से दो अज्ञात लड़को द्वारा मोबाइल छीनने के प्रयास की सूचना डायल 112 के माध्मय से प्राप्त हुई जिस सूचना पर चौकी इंजार्ज मोहन नगर मय टीम के द्वारा उक्त सफेद रंग की अपाचे मो0सा0 पर सवार दो लड़को का पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान उक्त सफेद अपाची पर सवार लड़को द्वारा राजीव कालोनी फैक्ट्री एरिया की तरफ



चौकी इंचार्ज व टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया ।जिसकी जबाबी कार्यवाही मे पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ हेतु फायरिंग की गयी । क्रास फायरिंग मे एक बदमाश के दाहिने पैर मे गोली लगी तथा वह मौके पर ही घायल हो गया दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फैक्ट्री एरिया की तरफ भाग गया जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगायी गयी है। पूछातछ मे गिरफ्तार/घायल बदमाश ने अपना नाम खालिद पुत्र मुमताज नि0 बुद्ध नगर नसबंदी कालोनी थाना लोनी गाजियाबाद बताया गिरफ्तार/घायल बदमाश के अपराधिक इतिहास की जानकारी की गयी तो उसके दिल्ली गाजियाबाद मे हत्या/लूट/चोरी के कुल 14 पंजीकृत है। गिरफ्तार बदमाश का अपराधिक इतिहास निम्नवत है।

## नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

खालिद पुत्र मुमताज नि0 बुद्ध नगर नसबंदी कालोनी थाना लोनी गाजियाबाद

## बरामदगी का विवरणः-

एक अदद अपाचे मो0सा0 न0 DL 3S DW 5113 रंग सफेद रंग दिल्ली से चोरी, एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर

#### अभि0 खालिद पुत्र मुमताज उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

- 1. मु0अ0स0 19671/2021 धारा 379/411 भादवि थाना जीटीबी इंकलेव दिल्ली
- 2. मु0अ0स0 151/2016 धारा 25/27/54/59 आर्म्स एक्ट थाना करावल नगर दिल्ली
- 3. मु0अ0स0 660/2015 धारा 392/411 भादवि थाना भजनपुरा दिल्ली

- 4. मु0अ0स0 178/2013 धारा 379/356 भादवि थाना हर्ष विहार दिल्ली
- 5. मु0अ0स0 142/2006 धारा 302/394/120बी/411/34 भादवि थाना नन्द नगरी दिल्ली
- 6. मु0अ0स0 77/2006 धारा 452/323/506/427/34 भादवि थाना नन्द नगरी दिल्ली
- 7. मु0अ0स0 715/2003 धारा 302/34 भादिव व 25/54/59 आर्म्स एक्ट थाना नन्द नगरी दिल्ली
- 8. मु0अ0स0 23271/2021 धारा 379/411/34 भादिव थाना आनन्द विहार दिल्ली
- 9. मु0अ0स0 655/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद
- 10. मु0अ0स0 1922/2018 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी गाजियाबाद
- 11. मु0अ0स0 900/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद
- 12. मु0अ0स0 526/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद
- 13. मु0अ0स0 524/2019 धारा 393 भादवि थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद
- 14. मु0अ0स0 243/2019 धारा 392/411 भादवि थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1. प्रभारी निरीक्षक श्री नागेन्द्र चौबे
- 2. उ0नि0 सुरेन्द्र सिह मय पीसी कर्म0गण
- 3. उ०नि० विपिन चौधरी
- 4. उ0नि0 राजेन्द्र पाल सिह
- 5. का0 मंजीत
- 6. का0 सुनील
- 7. का० गिरीश
- 8. का० अविनाश

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार जिनके कब्जे से चार अदद मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनियों के चोरी के बरामद।

-----

\_\_\_\_\_

कार्यवाही:- कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान विरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांकः 05/06/2022 समय 23.45 बजे नगर निगम के पीछे वाले रास्ते पर प्रदीप पान भन्डार की दुकान के पास डीएलएफ थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभियुक्त 1.आकाश पुत्र स्वर्गी वल्लू निवासी हाल पता अगूरा देवी नानी का मकान राजीब कालोनी गली न06 म0न0 3 थाना साहिवाबाद गाजियाबाद उम्र 23 बर्ष 2. सौरभ पुत्र महेश चन्द्र निवासी गली न0 6 राजीब



कालोनी थाना साहिवाबाद गाजियाबाद उम्र 21 बर्ष को मय चार अदद मोबाइल फोन चोरी के सबंधित मु0अ0स0 823/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना साहिबाबाद सहित गिरफ्तार किया गया।

#### अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि सहाब हम दोनों ने मिलकर कल रात्रि में छत के रास्ते मकानों में घुस कर यह मोबाइल चोरी किये थे हम दोनों के हिस्से में दो दो फोन आये थे जो हमसे बरामद हुए है यह वही फोन है जो कल रात्री में हम दोनों ने मिलकर चोरी किये थे हम दोनों बटवारा कर दिल्ली बेचने जा रहे थे।

#### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.आकाश पुत्र स्वर्गी वल्लू निवासी हाल पता अगूरा देवी नानी का मकान राजीब कालोनी गली न06 म0न0 3 थाना साहिवाबाद गाजियाबाद उम्र 23 बर्ष
- 2. सौरभ पुत्र महेश चन्द्र निवासी गली न0 6 राजीब कालोनी थाना साहिवाबाद गाजियाबाद उम्र 21 बर्ष

### अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 823/22 धारा 457/380411भादवि बनाम आकाश व सौरभ

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 विपिन कुमार का 2095 किरणपाल का 2084 रणजीत

### बरामदगी का विवरण

1.वीवो मोबाइल फोन चोरी के रँग नीला जिसका अदद चार रँग ओरेन्ज IMEI1869383042065417IMEI2869383042065409 2. रेड जिसका IMEI1862543041566072IMEI2862543041566080 3.एक फोन TECNO रॅंग ग्रीन हरा जिसका 3.वीबो IMEI1355792116034987IMEI2355792116034995 रँग आसमानी जिसका IMEI1863613057587418 IMEI2863613057587400 सबंधित मु0अ0स0 823/22 धारा 457/380/411 भादवि

## थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 382/22 धारा 302/34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार । कब्जे से एक अदद हथौडा,एक छुरी आलाकत्ल वरामद् ।

कार्यवाही - थाना लोनी बार्डर की चौकी लोनी बार्डर क्षेत्र के बेहटा हाजीपुर में हाजी मौहम्मद बिलाल नामक व्यक्ति की उसकी दूसरी पत्नी श्रीमती नाजमा ने हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी श्री मौहम्मद शौएब पुत्र हाजी मौहम्मद बिलाल नि0- बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर,गाजियाबाद ने थाना हाजा पर एक तहरीर दी थी जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 382/22 धारा 302/34 भादिव पंजीकृत किया गया था एवं विवेचना प्रभारी निरीक्षक महोदय द्वारा सम्पादित की जा रही है। श्रीमान् विरष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में थाना लोनी बार्डर पुलिस को जिरए मुखविर सूचना मिली कि उक्त मुकदमें की नामजद अभियुक्ता नाजमा हाजी मौ0 बिलाल के घर (घटनास्थल मुकदमा उपरोक्त) पर मौजूद है मुखविर की सूचना पर विश्वास पाकर पुलिस टीम अभियुक्ता के मसकन पर पहुंचे तो अभियुक्ता नाजमा घर पर मौजूद मिली जिसको गिरफ्तार करते हुए अभियुक्ता की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद हथोडा,एक अदद छुरी व नशे की गोलियों का खाली रेपर लोनी तिराहे से आगे फ्लाईओवर से पहले 4 खम्बा के बीच में नगरपालिका की डस्टिवन के बगल में नाले से बरामद किया गया।

#### <u>पूछताछ का विवरणः-</u>

अभियुक्ता से गहनता से पूछतांछ पर बताया कि मेने नौ वर्ष पूर्व हाजी मौहम्मद बिलाल से निकाह किया था यह मेरा दूसरा निकाह था मेरा पहला पित की मृत्यु हो गयी थी मैं बिलाल के साथ इसके दूसरे घर में पित पत्नी के रूप में रह रही थी,मेंने कई बार हाजी बिलाल को यह घर मेरे खुद के नाम करने को कहा तो बिलाल टाल मटोल करता रहता और बिना वजह के गाली गलौच करता रहता था। इसी बात से परेशान होकर मेंने दिनांक 04/05-6.2022 रात्रि करीब 02.00 बजे हाजी बिलाल को रूअबजा शरवत में नशे की गोलियाँ मिलाकर दी जिसे पीने के बाद बिलाल बेहोश हो गया जिसके बाद मेंने उसके सिर पर दो-तीन हथोड़े से बार किये तथा फिर उसकी छुरी से गर्दन काट दी जिसके खून के निशान मेरे कपड़ों पर आ गये। उसके बाद मेंने अपने खून से सने कपड़े हथोड़ा,छुरी व नशे की गोलियों का खाली रेपर एक हरे रंग के बेग में लोनी तिराहे से आगे फ्लाईओवर से पहले 4 खम्बा के बीच में नगरपालिका की डस्टिवन के बगल में नाले में फेंक दिया था।

### गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण -

नाजमा पत्नी हाजी मौहम्मद बिलाल नि0 बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद उम्र- 40 वर्ष

#### अभियुक्ता उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 382/022 धारा 302/34 भादवि थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।

#### अभियुक्ता नाजमा से बरामद का विवरण-

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद हथौडा,एक अदद छुरी तथा नशे की गोली का खाली रेपर व अभियुक्ता के खून से सने कपडे वरामद।

### गिरफ्तार करने वाली टीम -

1-प्रभारी निरीक्षक श्री सचिन कुमार थाना लोनी बार्डर

- 2- उ0नि0 श्री अमरपाल सिंह थाना लोनीबार्डर ।
- 3- उ0नि0 श्री विशाल सिंह थाना लोनी बार्डर ।
- 4- का० 1659 अंकुश मिलक थाना लोनी बार्डर ।
- 5- का० 1219 विकास कुमार टीम श्रीमान SPRA महोदय गा०बाद।
- 6- का० 583 नीरज कुमार थाना लोनी बोर्डर गा०बाद।
- 7- म0का० २९३४ हुसैन बानो थाना लोनी बोर्डर गा०बाद।